रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082026-275772
CG-DL-E-27082026-275772

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4564]	नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2026/भाद्र 3, 1948
No. 4564]	NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2026/BHADRA 3, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2026

का.आ. 4749(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का48) (जिसे इस में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात्कि गुजरात राज्य के भरुच जिले में NH48 के कि.मी. 193.780 से कि.मी.210.128 तक के भू-खण्ड के अतिरिक्त संरचना / पुलों का निर्माण (चौड़ीकरण / छह लेन बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमिका अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रांत अधिकारी, अंकलेश्वर, J2H4+558, पुराना NH-8 भरूच रोड, GIDC रोड, रेलवे क्रॉसिंग के पास, रेलवे स्टेशन के पास, गोल्डन ट्रेड सेंटर के पास, GIDC, अंकलेश्वरको लिखित रूप मे प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उस के आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के भरुच जिले के अंकलेश्वर तालुका के अंतगॅत NH48 के कि.मी. 193.780 से कि.मी.210.128 के लिए संरचना रहित अथवा संरचना सहित अर्जन की जानेवाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: भरुच		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अंकलेश्वर					
गांव का नाम: कांसीया					
1	501	निजी	गैर कृषि	0.2601 (हेक्टेयर)	0.2601
2	511	सरकारी	(नदी)	0.2749 (हेक्टेयर)	0.2749
				Total	0.535

[फा. सं. NHAI/PIU-Surat/15-Bridges/LA/2024/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2026

S.O. 4749(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for construction of additional structure / bridges (widening / six lanning etc), maintenance, management and operation of NH48 in the stretch of land from Km. 193.780 to Km. 210.128 in the district of Bharuch in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Prant Officer, Ankleshwar, J2H4+558, Old NH-8 Bharuch Road, GIDC Road, Near Railway Crossing, Near Railway Station, Near Golden Trade Center, Ankleshwar GIDC, Ankleshwar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH48 in the stretch of land from Km. 193.780 to Km. 210.128 in the Taluka of Ankleshwar, District of BHARUCH in the state of GUJARAT.

State: GUJARAT			**District: BHARUCH**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Ankleshwar					
Village: Kansiya					
1	501	Private	Non Agriculture	0.2601 (Hectare)	0.2601
2	511	Government	(River)	0.2749 (Hectare)	0.2749
				Total	**0.535**

[F. No. NHAI/PIU-Surat/15-Bridges/LA/2024/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.08.27 10:27:45 +05'30'